न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 602/2025
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए

हनीफा बीबी पुत्री मुराद अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया

वादी

बनाम

1. सईया पुत्र स्व. अतामोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
2. सायरा पुत्री स्व. अतामोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
3. सरदारा पुत्री स्व. अतामोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री महावीर बेरड़ – वकील वादीगण
2. श्री कुलदीप मूण्ड़ – वकील प्रति.सं. 1 ता 3

निर्णय दिनांक :– 1-1-2026

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि तहसील संगरिया के चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 91/73 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में वादीया स्वयं के नाम से एवं वादीया के स्व. बुआ के लडके अतामोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन के नाम से 0.9107 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीया एवं प्रतिवादीया सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादीया का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादीया सं. 1 ता 3 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादीया व प्रतिवादीया सं. 1 ता 3 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिष्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीया व प्रतिवादीया सं. 1 ता 3 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादीया सं. 1 ता 3 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादीया के पक्ष में बंटवारा अनुसार कर दिया। वादीया को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से है कि वादीया हनीफा बीबी पुत्री मुराद अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :– तहसील संगरिया के चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 91/73 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में 0.9107 है. कृषि भूमि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीया एवं प्रतिवादीया सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

जिसमें वादीया का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीया खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीया एवं प्रतिवादीया सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीया का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादीया ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादीया खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीया सं. 1 ता 3 टाल मटोल करते रहे, आखिर बाद में ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादीया सं. 1 ता 3 को मृतक अतामोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन के वारिसान होने के कारण तथा प्रतिवादीया सं. 4 को भू–धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादीया प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीयागण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि घोषणा इस आश्य की फरमाई जावे कि मुताबिक बंटवारा तहसील संगरिया के चक 8 एम.एम.के. के खाता सं. 91/73 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में वादीया स्वयं के नाम से एवं वादीया के स्व. बुआ के लडके अतामोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन के नाम से 0.9107 है. कृषि भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक अतामोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन का नाम कलमजन किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी संख्या 4 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी हनीफा ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार विरास्तन साक्ष्य में चक 8 एमएमके खाता संख्या 91/73 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 एव चक 8 एमएमके नामान्तरण संख्या 317 दिनांक 05.08.2013 की फोटो प्रति पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादीया एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 8 एमएमके खाता संख्या 91/73 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में मृतक अतामोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीया के वाद का प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 8 एमएमके नामान्तरण संख्या 317 दिनांक 05.08.

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

2013 की फोटो प्रति पेश की गई है जिसके आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार मृतक अतामोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन के नाम चक 8 एमएमके खाता संख्या 91/73 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 में आराजी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश करं वाद को स्वीकार किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– चक 8 एमएमके खाता संख्या 91/73 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 मे मृतक अतामोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन के नाम दर्ज कृषि भूमि की वादी हनीफा बीबी पुत्री मुराद अली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मृतक अतामोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 1-1-2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

पीठासीन अधिकारी:– जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:– 602/2025

हनीफा बीबी पुत्री मुराद अली जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया

वादी

बनाम

1. सईया पुत्र स्व. अतामोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
2. सायरा पुत्री स्व. अतामोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
3. सरदारा पुत्री स्व. अतामोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.एं.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ढ़ वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 8 एमएमके खाता संख्या 91/73 जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 मे मृतक अतामोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन के नाम दर्ज कृषि भूमि की वादी हनीफा बीबी पुत्री मुराद अली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मृतक अतामोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही हो तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकन किया जावे।

नोट:– प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज....X....नल....X....मुब्लिक....X....निल....X....बाबत्....X....निल....X....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक............ अदा करें।

बंसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक....1-1-2026....को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया